MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

HASSANPUR

NOTES

CLASS:- M.A. 1st Sem. (History)

SUBJECT: - STATE IN INDIA
(EARLIEST TIME TO SULTANATE) (MC)

Date
Page

Important Question → M.A Ist Year (History)

PAPER – V^th (State in India)

1. प्राचीन भारत के राज्य निर्माण के विभिन्न सिद्धान्तो का विश्लेषण करे।

Ans:- जीवन के आरंभ से ही मानव समाज के उदय एवं विकास मे राज्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। 'शुक्रनीति के अनुसार' 'जैसे' इंद्र की पत्नी सदा सुहागन रहती है अर्थात वह कभी भी विधवा नही हो सकती (क्योंकि इंद्र यहां एक पद के रूप मे है) उसी तरह बिना राजा या राज्य के लोगो का जीवन एक पल को भी नही हो सकता है। राज्य शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से हुई है। जो लैटिन भाषा के शब्द stutes शब्द से बना है इस शब्द का अर्थ शासन, अवस्था या पद के रूप मे लिया जाता है। उपरान्त अध्ययन से हमे राज्य

Scanned with ACE Scanner

की प्रकृति के विषय में कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। परन्तु राज्य को सही अर्थों में परिभाषित करना कोई सरल कार्य नहीं है। समय के साथ जिस तरह समाज तथा मानवीय संबंधों का विकास होता गया उसी तरह (राज्य संस्था) का भी विकास होता चला गया।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत :-

राज्य की उत्पत्ति अथवा उद्भव के संबंध में विद्वानों के अलग-अलग विचार हैं। अधिकतर विद्वान इसके उद्भव से संबंधित चार मुख्य सिद्धांतों को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

1. विकास का सिद्धांत :-

अथर्ववेद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तथा विकास का सिद्धांत आपस में एक-दूसरे के प्रेरक हैं। आधुनिक काल के विद्वानों का भी

मानता है कि राज्य की उत्पत्ति विकास का ही परिणाम है। इन विद्वानों के अनुसार सबसे पहले परिवारों का निर्माण हुआ और फिर परिवारों के समूह से गांव बने और फिर गांव से जन अथवा जनपद बने। इन्हीं जनपदों के विकास रूप को राष्ट्र या राज्य कहा गया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धांत प्रतिपादित होता है। इस भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धांत प्रतिपादित होता है। विकास के सिद्धांत के समर्थन में हम राजाओं के लिए वर्णित कर्तव्यों को भी रख सकते हैं। इनके अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह चोरों को दंड दे, निजी संपत्ति की रक्षा करे और परस्त्रीगामियों को दंडित अनुसार राजा

परिवार की रक्षा करें। इन कर्तव्य से यह आभास होता है कि लोगों ने अपनी सुरक्षा की भावना के तहत ही राजा नामक पद का निर्माण किया था।

2. **अनुबंध आधारित सिद्धांत :—** इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हॉब्स, लॉक में एक ऐसी अवस्था को नाम दिया है। परंतु आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे उनके सामाजिक जीवन में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। इस राज्य का अनुबंध आधारित सिद्धांत के कुछ साक्ष्य हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीघ निकाय से भी प्राप्त होते हैं। इस धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मानव जीवन की शुरुआत में एक ऐसा समूह था जब सभी लोग सरल व शांति से

एक साथ रहते थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से राज्य की उत्पत्ति के अनुबंध सिद्धांत का स्पष्ट ब्यौरा प्राप्त होता है। कौटिल्य अपने ग्रंथों में लिखा है कि, अराजक परिस्थिति में पड़कर लोगों ने मनु वैवस्वत को अपना राजा चुना और वचन दिया कि वे अपने स्वर्ण का एक अंश देने के अतिरिक्त अनाज का छठा भाग और बिकाऊ वस्तुओं का दसवां भाग चुकायेंगे। रूसो का मानना है कि लोगों ने अपनी इच्छा से ही एक ऐसा समझौता किया जिसमें प्रभुसत्ता उन्हीं के हाथों में निहित रहती थी। उसने अपने अधिकार बेशक एक समूह को दे दिए थे परंतु इससे उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आई। मनुष्य ने इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक समझौता किया जिससे 'राज्य' रूपी पद का निर्माण हुआ

3. **दैवीय सिद्धांत :-** राज्य की उत्पत्ति से संबंधी यह सिद्धांत प्राचीनतम है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर ने स्वयं की थी। ब्राह्मण तथा महाभारत ग्रंथों में बार-बार इस सिद्धांत की घोषणा की गई है। इन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने खुद जमीन पर उतरकर राज्य की स्थापना की है। कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार ईश्वर के दूत ने जमीन पर आकर राज्य की स्थापना की थी। जिसे इन ग्रंथों में दैवी पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है। राजा की शक्ति के विषय में हिन्दू संकल्पना यह थी कि प्रजा की रक्षा करना ईश्वर के द्वारा विहित कर्तव्य है डा. घोषाल ने शांति पर्व के अध्याय 58 के अंतिम श्लोक

में लिखा है कि राजा केवल देवता नहीं अपितु देवता के तुल्य होता है। डा. घोषाल ने लिखा है कि पश्चिम में प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत मुख्यतः है।

1. राजतंत्र ईश्वरकृत संस्था।
2. राजाओं के शासन को अनुवांशिक अधिकार।
3. राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है।
4. राजाओं का विरोध नहीं करना चाहिए।

5. **शक्ति द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत :-** इस सिद्धांत के पक्षधर विद्वानों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई थी इस तरह के राज्य का निर्माण शक्ति के बिना नहीं हो सकता था क्योंकि मानव अपने स्वभाव के कारण कभी भी अपनी

Scanned with ACE Scanner

को कभी भी दूसरे के हाथों में नहीं सौंप सकता। अन्य लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को सिर्फ छीना जा सकता है। यह काम बिना शक्ति के नहीं हो सकता इसलिए आक्रामक शक्तिशाली कबीलों ने कमजोर कबीलों या जनों पर शक्ति के माध्यम से अपना अधिकार कर लिया तथा राज्यों की स्थापना की। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करने का परिणाम है। अन्य विद्वान भी इस सिद्धांत को काफी हद तक व्यावहारिक मानते हैं। उनका भी मानना है कि बिना शक्ति के कोई राज्य यदि स्थापित भी हो जाता है तो उसका संचालन बिना शक्ति के नहीं हो सकता।

निष्कर्ष :—

उपरोक्त अध्ययन में, हमने विभिन्न राज्य संबंधी सिद्धांतों के अनेकों पहलुओं को जाना। इस जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था का संबंध विकास से होता है। जैसे :— परिवार से गाँव, गाँव से विश, विश से जन तथा जन से राज्य बना है।

Scanned with ACE Scanner

Date 10

Q→2 वैदिक राज्य की संस्थाओं पर नोट लिखो।

Ans:- वैदिक काल और उत्तर वैदिक-कालीन समाज कुछ वृत्तियों से सर्वथा भिन्न था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों के क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आस-पास का स्थान था। लौह धातु के सहारे अब आर्यों ने नए क्षेत्रों की कठोर भूमि को भी अपना निवास स्थान बना लिया था। लौह शिल्प के विकास के कारण आर्यों का घुमक्कड़ और पशुपालक जीवन लगभग समाप्त हो गया। लौह शिल्प के विकास के कारण वैदिक काल के अंत तक आर्यों की पहुंच विदेश तक हो गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से प्राप्त भूरे रंग के बर्तन यह प्रमाणित करते हैं

Date 11

कि इन क्षेत्रों में आर्यों ने लगभग 1000-500 ई.पू. के बीच स्थायी जीवन जीना आरम्भ कर दिया था। इस काल में छोटे-छोटे कबीलों ने अपने आपको जन के रूप से संगठित कर लिया था। ऋग्वैदिक काल में क्रिवी तथा पुरु के लोगों के मेल से कुरु, जन का निर्माण हुआ था।

राज्य के प्रकार :—

वैदिक कालीन समाज मुख्यतः कबीलाई शासन के अंतर्गत एकजुट था। इस काल में राजा की पहचान कबीलों के नेता के रूप में ही की जाती थी जो भेंट तथा नजरानों से अपनी प्रमुखता बनाए रखता था। इस प्रकार इस काल में राजन एक कबीलाई नेता से अधिक नहीं था। यदि राजा ने धर्म को त्याग दिया

तो मानो राजा ने निवारस अपना शरीर त्याग दिया अर्थात राजा तब तक ही राजा रह सकता है। जब तक उसका आचरण धर्मानुसार हो

उनके अनुसार भारतीय राज्यों का विकास मुख्यतः 6 चरणों में हुआ है।

	राज्य का स्वरूप	काल
1.	धर्मनिरपेक्ष राज्य -	1400–1000 ई.पू.
2.	धर्म संरक्षणता -	1000–700 ई.पू.
3.	धर्म संरक्षण के रूप -	700-400 ई.पू.
4.	धर्म एवं सामाजिक नैतिकता के प्रमुखता के रूप में -	400-100 ई.पू.
5.	दैवीय अधिकार एवं राज्य स्वामित्व -	100-300 ई.पू.
6.	राजा की प्रभुसत्ता -	300-700 ई.पू.

1. राजतंत्र :-

राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा का पद वंशानुगत होता है। अर्थात राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा या कोई सगा संबंधी राजा बनता है। प्राचीन भारत में अधिकतर राजा अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लेते थे। जिसे युवराज कहा जाता था। शुक्रनीति ने युवराज को राजा की दाहिनी भुजा, आंखें व कान कहा है। इससे हमें युवराज के महत्व का ज्ञात होता है।

2. **गणतंत्र :-**

प्रारंभ में अधिकतर इतिहासकारों का मानना था कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्रात्मक राज्य ही अस्तित्व में थे परंतु कई विद्वानों ने इस बात को गलत साबित कर दिया

Scanned with ACE Scanner

तथा उस समय प्रचलित गणराज्यों के स्वरूपों की खोज निकाला। सर्वप्रथम 1903 ई. में रीड डेविड्स ने प्राचीन गणराज्यों की खोज की। जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों, पाणिनी की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से प्राचीन गणराज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध के समय भी भारत में अनेक गणराज्य अस्तित्व में थे। इस तरह के गणतंत्रीय राज्यों को कुलतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है।

वैदिककालीन राज्य की संस्थाएं :-

वैदिककालीन संस्थाएं राज्य व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण आधार सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। इससे हम वैदिककालीन राजनीतिक विकास को आसानी से समझ सकते हैं।

1. सभा :-

ऋग्वेद में आठ बार सभा शब्द का उल्लेख किया गया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ चमकना होता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा में कुछ विशिष्ट तथा चुने हुए लोग शामिल होते थे, जो प्रशासनिक, राजनीतिक व अन्य उद्देश्य हेतु एकत्रित होते थे। इसका आरंभिक स्वरूप वैधानिक एवं न्यायिक नहीं था। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि राजा हमेशा यह प्रार्थना करते थे कि दोनों पुत्रियां (सभा समिति) उसकी सहायता करें। किसी भी सभा के आयोजन से पहले सभा की तरफ से भेंट या बलि भेंट की जाती थी जिसमें प्रयोग की गई अग्नि को 'सभा' कहा जाता था।

Scanned with ACE Scanner

Date 16
Page

बृहस्पति के अनुसार सभा के निम्न घटक मुख्य थे

10 राजा 2. सभा के सदस्य
3. सभापति 4. लेखापाल
5. लेखक 6. स्वर्ण
7. अनुगढ़ 8. जल
9. दोनों पक्षों के गवाह ।

2. **समिति :-** वैदिक साहित्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था समिति थी। वेदों के अनुसार यह अति प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद के अनुसार संस्था सभा की समान भागिनी तथा प्रजापति की दुहिता थी। सीमा के अंदर समिति का मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना तथा उसे पद से हटाना था।

निष्कर्ष :- यह स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि दोनों संस्था या संस्थाएं

Date 17
Page

वैदिक व उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी।

Q→3. मौर्य राज्य के स्वरूप का विवेचन कीजिए।

Ans:- मौर्यकालीन राज्य के स्वरूप व राजनीतिक सिद्धांतों को जानने का प्रमुख साधन कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। सामान्य तौर पर भौगोलिक विस्तार के आधार पर ही साम्राज्य की व्याख्या की जाती है परंतु मौर्यकालीन साम्राज्य के अंतर्गत चाणक्य ने भौगोलिक विस्तार के सुरक्षा - साथ राज्य के विभिन्न अंगों का विवरण दिया है। अर्थशास्त्र में राज्य के सात अंगों का उल्लेख मिलता है। ये हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र इन सात अंगों में से राजा व अमात्य के हाथों में केन्द्रीय शासन की सर्वोच्च सत्ता थी।

Date
Page 18

★ **राजनीतिक सिद्धांत :—**

राजा की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य ने लिखा है कि जब अराजकता के कारण सब मनुष्य कष्ट पाने लगे तो उन्होंने मनु को को अपना पहला राजा चुना और उपज का छठा भाग एवं व्यापार का दसवां भाग उसे देने का निश्चय किया।

★ **राजा के उद्देश्य :—** कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्य के विषय में लिखा कि राजा पद्धति प्रचलित थी।

★ **मौर्यकालीन राज्य - राजतंत्र :—** मौर्य काल में राजतन्त्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी। किसी भी समकालीन देशी एवं विदेशी स्त्रोतों से राजा का चुनाव का पता नहीं चलता था।

Date
Page 19

★ **प्रबुद्ध राजतंत्र :—** सिद्धांतिक रूप से निरंकुश होते हुए भी मौर्य शासक व्यवहार में निरंकुश नहीं थे।

मौर्य प्रशासन :— मौर्य ने भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की। उन्होंने भारत में एक विशाल तथा शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। मौर्य शासन व्यवस्था में सम्राट शासन का केन्द्र बिन्दु था।

★ **नागरिक शासन :—**

केन्द्रीय शासन —

अर्थशास्त्र में राज्य के सात अंग कहे गये है — राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र केन्द्रीय प्रशासन के प्रमुख अंगो का विवरण इस प्रकार है।

Scanned with ACE Scanner

राजा — मौर्य शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतन्त्रात्मक था। सीनानी, दौवारिक आदि विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य को संघ राज्यों का समूह माना है।

गाँव का शासन :— मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था।

व्यापार समिति :— यह समिति बिकने वाले सामान तथा माप और तोल के बटखरों के सही प्रयोग पर नियंत्रण रखती थी।

उद्योग समिति :— इस समिति का कार्य उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का निरीक्षण करना था।

कर समिति :— इस समिति का काम बिकी हुई वस्तुओं पर उनके मूल्य के अनुसार बिक्री कर वसूल करना था।

आय :— राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था जो सामान्यतः 1/6 से लेकर 1/2 तक था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था।

व्यय :— सरकारी आय का व्यय विभिन्न रूपों में होता था। इसका एक भाग सम्राट एवं उसके परिवार के भरण-पोषण में, दूसरा भाग विभिन्न सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर, तीसरा, चौथा, पाँचवा भाग धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को दान देने में खर्च।

Scanned with ACE Scanner

सैनिक प्रशासन :-

चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का निर्माण सैनिक शक्ति के बल पर किया था।

(i) **सैनिकों की भर्ती** :- मौर्यकाल में सेना की भर्ती लोगों की अपनी इच्छानुसार होती थी।

(ii) **वेतन** :- सैनिकों को नियमित रूप से नकद वेतन मिलता था। सेनापति का वेतन 48000 पण, सेनापति के बाद नायक का पद आता था।

(iii) **अनुशासन एवं दण्ड** :- सेना में अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और सैनिकों को मृत्युदंड भी दिया जाता था।

(iv) **युद्ध सामग्री** :- मौर्य सेना को युद्ध संबंधी सभी सामग्री राज्य की तरफ से दी जाती थी। तलवार, भाले, धनुष - बाण, कटार, त्रिशूल आदि।

(V) **पुरस्कार** :- युद्ध में सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए चन्द्रगुप्त ने पुरस्कारों को भी घोषित किया था शत्रुसेना के राजा की हत्या करने वाले सैनिक को 1,00,000 पण, उसके सेनापति की हत्या करने वाले को 50,000 पण और साधारण सैनिक की हत्या पर 20 पण इनाम दिया जाता था।

Scanned with ACE Scanner

Q.24. ऋग्वैदिक आर्यों के प्रशासन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

Ans:- आर्यों ने अनार्यों तथा आपसी संघर्षों के बाद एक संगठित व उच्चकोटि के शासन प्रबंध की स्थापना की। उनके राजनीतिक शासन प्रबंध एक क्रमिक विकास का परिणाम था।

1. प्रशासनिक ढांचा :— ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुल थी। कुल या परिवार का नेता 'कुलप' कहलाता था। कई परिवारों के मेल से एक ग्राम की स्थापना हुई तथा इसके मुखिया को ग्रामिणी कहा गया।

2. राजा :— राजा के पद की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी एवं ताराचंद बंद्योपाध्याय 'युद्ध की

आवश्यकता' को राजतंत्र का कारण मानते हैं।

3. अन्य राज्याधिकारी :— राज्य के प्रमुख कर्मचारी पुरोहित, सेनापति और सैनिक होते थे। इनके अतिरिक्त ग्रामणी भी होता था जो गांव का मुखिया होता था। पुरोहित पर समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने का दायित्व होता था।

4. सभा और समिति :— राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण रहता था अर्थात् वैदिककालीन राजा को इन जनप्रिय संस्थाओं के नियंत्रण में काम करना पड़ता था। समिति समस्त जनता की बड़ी संस्था और सभा वृद्धजनों की छोटी और चुनी हुई संस्था होती थी।

5. सेना :— वैदिक आर्य स्वभावतया शांतिप्रिय थे,

Scanned with ACE Scanner

Date
Page 26

परन्तु अवसर आने पर युद्ध के लिए भी तत्पर रहते थे। सेना में पैदल और रथी रहते थे।

6. न्याय व्यवस्था :— वैदिककालीन न्याय व्यवस्था के विषय में हमारे पास ठोस जानकारी का अभाव है। सम्भवतः राजा प्रमुख न्यायिक अधिकारी थी तथा वह स्वयं अथवा पुरोहित की सहायता से मुकदमों का निर्णय करता था।

निष्कर्ष :— उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक समाज कबिलाई स्वरूप से निकलकर राजतंत्रीय व्यवस्था में प्रवेश कर चुका था।

Date 27
Page

Q.5. उत्तरवैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ का वर्णन करें।

Ans:— उत्तरवैदिक काल में राजनीतिक दशा अथवा राज्य की संरचना में विशेष बदलाव आया। अब आर्यों का प्रसार दूर-दूर तक के क्षेत्रों तक हो गया था। उन्होंने युद्धों के माध्यम से अनेक स्थानीय जातियों को पराजित करके उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इनमें कुरु, कौशल, मगध, काशी पांचाल, गांधार राज्यों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

1. नए राज्यों का उदय :— उत्तरवैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध जनपद अब अपना गौरव खो चुके थे। तथा उनके स्थान पर कुछ नए शक्तिशाली राज्यों का उदय इसके इसी तरह के राज्यों में 'कुरु' का उदय

हुआ जो पुरु और भरतों के जन से मिलकर बना है।

2. **राजतंत्र का विकास :—** इस काल में शासन-विधान में काफी विकास हुआ इस काल में राजनीतिक व्यवस्था में काफी बदलाव आने लगे थे इस काल की राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का शक्तिशाली होना था।

3. **राजा का चुनाव :—** उत्तर वैदिक साहित्य में राज्य एवं राजा के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक कथन मिलते हैं। "राजा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत लॉक द्वारा प्रतिपादित संविदा के सिद्धांत से मिलता-जुलता है। शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक राजा चुना और उसने लोगों के जान-धन की सुरक्षा करने का वचन इस शर्त पर दिया।

4. **राजा और उसकी शक्तियाँ :—** राजा का पद बहुत महत्त्वपूर्ण तथा देवतुल्य समझा जाता था। राज्याभिषेक के समय राजा को इस प्रकार सम्बोधित किया जाता था, 'कृषि उन्नति तथा प्रजा के लिए यह राज्य तुम्हें सौंपा जाता है।" उत्तरवैदिककालीन सभ्यता में विविध प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था। राजा के लिए राजसूय सम्राट के लिए 'वाजपेय', स्वराट् के लिए 'अश्वमेध', विराट के लिए 'पुरुषमेध' का विधान था।

5. **राज्याभिषेक :—** इस काल में राज्याभिषेक का राजनीतिक धार्मिक एवं वैधानिक महत्व था। इस अवसर पर राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था राजा 'रत्नियों' के घर जाकर उनका सम्मान करके अनुमोदन प्राप्त करता था।

Scanned with ACE Scanner

6. **मंत्रिमंडल :—**

इस काल में राजकर्मचारियों का महत्व काफी बढ़ गया था क्योंकि वे राज्यों के निर्माण से शासन संबंधी कार्य काफी बढ़ गए थे। इसलिए राज्य के प्रमुख अधिकारियों की संख्या में पहले की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई।

7. **न्याय व्यवस्था :—**

राजा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते थे जैसे – न्यायाधीश जिसे 'स्थापित' कहा जाता था।

8. **सभा और समिति :—**

वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल में भी राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए 'सभा' तथा 'समिति' नाम की दो

संस्थाएँ अस्तित्व में थी।

9. **युद्ध विधि :—**

उत्तरवैदिक काल में अब वह शांति नहीं रही थी, जो ऋग्वैदिककालीन समाज में देखने को मिलती थी। इस काल में आर्य राज्यों के बीच आपसी युद्ध अधिक हो गए थे। युद्ध के अस्त्र के शस्त्रों में तो विशेष बदलाव नहीं आया था।

निष्कर्ष :—

उत्तरवैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा शासन-तंत्र काफी विकसित हो चुका था। राजा पहले से अधिक शक्तिशाली, राज्य पहले से अधिक विशाल, नौकरशाही में वृद्धि, करों का बढ़ना, स्थायी सेना, सभा और समिति का महत्व कम होने लगा।

Q.6: कौटिल्य के 'राजत्व सिद्धांत' की व्याख्या कीजिए।

Ans:- मौर्यकालीन साम्राज्य के अंतर्गत चाणक्य ने भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ राज्य के विभिन्न अंगों का विवरण दिया है। अर्थशास्त्र में राज्य के साथ अंगों का उल्लेख भी मिलता है। जिन्हें राज्य के सप्तांग का नाम दिया जाता है। ये सप्तांग है - राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र।

राज्य के सात अंग :- अर्थशास्त्र में राज्य के सात अंग (राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र) कहे गए हैं।

(1) राजा :- प्रशासन के शीर्ष पर राजा था अर्थात राज्य के सात अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग राजा था।

यह अंग अर्थात राजा समस्त सैनिक, न्याय, कार्यकारी क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकारी था। कौटिल्य राजा की शक्ति को कुशलता प्रदान करता है। कौटिल्य राजा के उद्यम तथा परिश्रम पर बहुत जोर देता है।

2. अमात्य :- राजा के प्रशासन में अमात्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 18 केंद्रीय विभागों का उल्लेख करता है तथा इनके अध्यक्षों को उसने 'अमात्य' कहकर उल्लेखित किया है। कौटिल्य के अनुसार राजा के लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्य अमात्यों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।

3. **जनपद** :- भारत में छठी सदी ई. पू. का काल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है।

Scanned with ACE Scanner

डॉ. आर. के. मुखर्जी के अनुसार यह सदी इन दो धर्मों के उत्थान के लिए ही उल्लेखनीय नहीं वरन इन दोनों धर्मों से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए भी विख्यात है।

4. **कोष** :— अर्थशास्त्र में इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को अपनी प्रजा की आर्थिक अवस्था को सुधारने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। राजा में किसी भी प्रकार की निर्धनता या आर्थिक तंगी नहीं होनी चाहिए।

5. **दुर्ग** :— दुर्गों का मौर्य काल में बहुत महत्व था। साम्राज्य में सामरिक सुरक्षा के स्थानों पर दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। दुर्गों के चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारें तथा खाइयां होती थी। इन खाइयों में सदैव पानी भरा

रहता था।

6. **सेना** :— मौर्य साम्राज्य की एकता तथा सुरक्षा सेना की शक्ति पर आधारित थी मेगास्थनीज ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त की सेना में 6,00,000 से भी अधिक पैदल सैनिक 30,000 से अधिक अश्व सेना 9,000 हाथी और 8000 रथ थे।

7. **मित्र** :— अर्थशास्त्र में राज्य के लिए आवश्यक बताए गए सात अंगों में से मित्र भी एक अंग है। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि छोटे-बड़े राज्य सदैव आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र को होती थी।

निष्कर्ष :— उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य की सुरक्षा व निर्माण के लिए पित. सप्तांगों की बात अनेक ग्रंथों में कही गई है।

Scanned with ACE Scanner

Q77. गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हो।

अथवा

गुप्त शासन प्रबंध पर एक निबंध लिखिए।

Ans:- गुप्त सम्राटों ने लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त करके न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु एक कुशल शासन प्रबंध की भी व्यवस्था की यद्यपि मौर्यकाल की भाँति राजनीति का ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' तथा मेगस्थनीज के 'इंडिका' जैसे ग्रंथ तो गुप्तकाल में नहीं मिलते जिनसे प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी होती हो।

1. राजा :→ गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंश के शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखते थे।

2. रानी :- गुप्तकाल में रानियों का भी महत्व था जो अपने पतियों के साथ मिलकर कभी-कभी शासन चलाती थी। कुमारदेवी ने अपने पति चन्द्रगुप्त के साथ मिलकर शासन किया था।

3. मंत्रिपरिषद :- राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। गुप्त अभिलेखों में मंत्रियों के लिए अमात्य, सचिव, आदि पदों का उल्लेख हुआ है। कामंदक ने मंत्रियों को राजा की आंख कान बताया है।

4. केन्द्रीय अधिकारी :- प्रयाग प्रशस्ति में सभा के सदस्यों का उल्लेख हुआ है। सभासद राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करके निर्णय देते थे।

Scanned with ACE Scanner

5. सामन्त राजा :— प्रो. आर. एस. शर्मा के अनुसार 'गुप्तकाल मे सामन्तवाद का उदय हो चुका था। सामन्तवाद के उदय के लिए समुद्रगुप्त की अधीनस्थ राजाओ के प्रति अपनायी गई नीति ही उत्तदायी थी।

6. प्रांतीय शासन :— गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतो मे विभक्त था प्रान्त को भुक्ति या देश कहा जाता था। प्रान्त के शासक को 'उपरिक' कहा जाता था जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी तथा वह उसी के प्रति उत्तदायी था।

7. जिला तथा नगर प्रशासन :— भुक्ति का विभाजन अनेक विषयो मे हुआ था। विषयपति इसका अधिकार होता था विषयपति की नियुक्ति प्रान्त के 'उपरिक' द्वारा की जाती थी।

8. ग्राम शासन :— 'गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। जिसका प्रशासन ग्राम-सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा के अधिकारी का नाम ग्रामिक या महत्तर था।

9. वित्तीय प्रशासन :— गुप्त काल मे सिद्धांत: भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। राजकीय भूमि के आलावा ऐसी भूमि भी थी जिस पर किसानो का स्वामित्व था। मंदिरो तथा ब्रहमणो को जो भूमि दान मे दी जाती थी उसे 'अग्रहार' कहते थे। इस प्रकार की भूमि सभी प्रकार के करो से मुक्त थी। गुप्त शासको ने भूमि के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया था।

10. न्याय प्रबंध :— गुप्त कालीन अभिलेखो से तत्कालीन न्याय व्यवस्था के संबध मे विशेष ज्ञान प्राप्त नही होता था।

Scanned with ACE Scanner

11. **सैनिक प्रशासन** :— गुप्त शासकों की सेना विशाल एवं सुसंगठित होती थी। सेना के बल पर ही उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्तों ने परंपरागत चतुरंगिणी सेना की व्यवस्था की थी, ये अंग थे — हाथी, घुड़सवार, रथ एवं पैदल। इस युग में नौसेना भी सैनिक अंगों में स्थान रखती थी।

12. **पुलिस विभाग** :— देश में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा के लिए गुप्तों के पास पुलिस भी थी। इसके अलावा अधिकार को 'दंडपाशिक' कहा जाता था।

इसी प्रकार इतिहासकार वी. ए. स्मिथ ने तो यहां तक लिखा है कि 'इससे अच्छा शासन भारत में कभी नही हुआ।'

Q.8. इस्लाम धर्म के अनुसार राज्य के स्वरूप की विवेचना कीजिए।

अथवा

मध्यकाल मे राज्य की संरचना पर एक नोट लिखिए।

Ans:- इस्लाम धर्म के अनुसार 'शरीयत' प्रधान है, खलीफा भी उसके अधीन होता है। इस कारण सभी मुसलमान शासक 'शरीयत' के अधीन होते हैं और उसके कानूनों के अनुसार कार्य करना उनका प्रमुख कर्तव्य होता है। इस दृष्टि से खलीफा और सुल्तान धर्म के प्रधान नही थे बल्कि 'शरीयत' के कानून के अधीन राजनीतिक प्रधान मात्र थे। जिनका कर्तव्य धर्म के कानून के अनुसार शासन करना था। दिल्ली सुल्तानों मे से अधिकांश ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा इस दृष्टि से वे अपने को अब्बासी खलीफाओं के अधीन

मानते थे

केन्द्रीय शासन :—

1. सुल्तान :— केन्द्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। दिल्ली - सल्तनत के युग में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था।

2. मन्त्री और अन्य अधिकारी :— शासन में सुल्तान की सहायता के लिए विभिन्न मन्त्री और अन्य अधिकारी होते थे।

1. नायब :— इस पद को रज़िया के पश्चात सुल्तान बहरामशाह के समय में आरम्भ किया गया। बहरामशाह के सरदारों ने शासन - शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए अपने में से एक को 'नायब' का पद दिया।

(ii) वज़ीर :— राज्य का प्रधानमंत्री वज़ीर कहलाता था। वज़ीर मुख्यतया राजस्व - विभाग का प्रधान होता था।

(iii) आरिज - ए - मुमालिक :— यह सेना - विभाग का प्रधान था। वह सैनिक की भर्ती उनकी रसद की व्यवस्था, उनके निरीक्षण की व्यवस्था, घोड़ो पर दाग और सैनिक का हुलिया रखे जाने के व्यवस्था आदि करता था।

(iv) दीवाने - रसालत :— यह सुल्तानों की विदेश - वार्ता और कूटनीतिक सम्बन्धों की देखभाल करता था।

(v) काजी - उल - कज़ात :— यह न्याय - विभाग का प्रधान था यद्यपि उसके न्यायालय से बड़ा न्यायालय सुल्तान का था।

Scanned with ACE Scanner

Date 54

Q.1. दिल्ली सल्तनत के स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Ans:- 1206 ई. मे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात भारतीय इतिहास मे एक नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ। अभी तक शासन की बागडोर राजपूतों के हाथों मे थी जो अनेक स्वतन्त्र एव एवं अर्द्धस्वतन्त्र राजा के शासक थे। परन्तु 1206 ई. के बाद दिल्ली राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बन गई।

1. खलीफा के साथ सम्बन्ध :-

मुस्लिम राजत्व सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी मुसलमानों के शासक को 'खलीफा' कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ खलीफा के संबंध का स्वरूप

Date 55

मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का विवादित प्रश्न है। जिसको बगदाद के खलीफा द्वारा 1229 ई. मे मान्यता प्राप्त हुई थी।

2. दिल्ली के सुल्तानों का राजस्व संबंधी सिद्धांत :-

अपनी प्रतिष्ठा मे वृद्धि करने के लिए प्रायः सभी सुल्तानों ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और अपनी सल्तनत के संबंध के साथ मे नई धारणा बनाई। बलबन ने राजत्व के सिद्धान्त को नए ढंग से प्रतिपादित किया। वह राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धान्त का कट्टर समर्थक था। उसने अपने को प्राचीन अफरासियाब वंश का वंशज बताया और रक्त की शुद्धता व कुलीन वर्ग की पवित्रता पर विशेष बल दिया था।

3. खिलजी शासकों का राजत्व संबंधी सिद्धांत :—

खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजत्व संबंधी सिद्धांत उदारता व दयालुता पर आधारित था। वह कम-से कम रक्तपात एवं अत्याचार करने मे विश्वास करता था।

4. तुगलक शासकों का राजत्व सिद्धांत :—

तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक एवं उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद तुगलक का राजत्व संबंधी सिद्धांत बलबन एवं अलाउद्दीन से भिन्न नही था। उनके राजत्व सिद्धान्त का उद्देश्य विशाल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना व नवीन प्रदेशों को विजित करना था।

5. सैयद एवं लोधी शासकों का राजत्व संबंधी सिद्धांत :—

सैयद एवं लोधी वंश के शासन काल मे सुल्तान पद के गौरव एवं प्रतिष्ठा पर गहरी आंच आई। इन वंशो के लगभग सभी शासक अयोग्य, निर्बल एवं अदूरदर्शी साबित हुए। उनके शासक काल मे शक्ति अमीर वर्ग के हाथो मे रही। राज्य मे 'उलमा' वर्ग की प्रधानता छायी रही। उनके शासन काल मे राज्य की प्रमुख शक्ति सुल्तान न होकर 'उलमा' वर्ग, अमीर, सरदारो एवं दासो के हाथो मे रही थी।

Date 48

Q.10 इक्ता व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Ans:- इक्तादारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। जिसे एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। यद्यपि भारत वर्ष में सामन्तों एवं अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा बहुत प्राचीन थी। परंतु भारत वर्ष में सामन्तों एवं अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा बहुत प्राचीन थी।

1. इक्ता व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य :-

सल्तनत के प्रारम्भिक शासन के प्रशासन संबंधी अनेक जटिल समस्याओं के समाधान हेतु इस प्रथा को लागू किया गया था।

Date 49

(2) प्रथम :-

इस व्यवस्था के माध्यम से सुल्तान निकटवर्ती अथवा दूर दराज के क्षेत्रों के प्रत्यक्ष शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त रहा।

(3) दास वंश में इक्तादारी व्यवस्था :-

इक्तादारी व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है।

(4) साधारण इक्ता :- जो गाँव साधारण सैनिकों उनके वेतन के बदले दिया जाता था।

(5) प्रान्तीय इक्ता :- ये वे इक्ताएँ थी जिनका क्षेत्रफल प्रान्त के बराबर तथा खालसा भूमि के बाहर हुआ करती थी। ये इक्ताएँ मुक्तियों या अमीरों को प्रदान की जाती थी।

Scanned with ACE Scanner

Date 50

1. वृद्ध इमतादार :— ये वे इमतादार थे जो पूर्णतः वृद्ध तथा निर्बल हो चुके थे तथा युद्ध करने के योग्य नहीं थे।

2. युवा इमतादार :— ये जवान व स्वस्थ इमतादार थे।

3. अनाथ इमतादार :— इस श्रेणी में वे इमतादार थी जो अनाथ विधवाओं व उनके बच्चों के पास थी।

2.) खिलजियों के शासन काल में इमतादारी व्यवस्था :— सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल (1296 – 1316 ई.) में इमतादारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

Date 51

3.) तुगलक शासन काल में इमतादारी व्यवस्था :— सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक (1320 – 25 ई.) ने इमता प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये। दीवान – ए – वजारत विभाग को उसने आदेश दिया कि वे मुक्तों की अनुमानिक आय निकाले तथा प्रतिवर्ष की आय पर केवल 1/10 या 1/11 तक की ही वृद्धि करे क्योंकि अधिक वृद्धि से ये लोग कर का भाग किसानों पर डाल देते थे।

4. मुक्ति पर नियंत्रण :— यह सुल्तान पर निर्भर था कि वह मुक्तियों पर किस सीमा तक नियन्त्रण रखे।

निष्कर्ष :— इस प्रकार सल्तनत युग में इमतादारी व्यवस्था ने राजनीतिक एवं सामाजिक संस्था के रूप में कार्य किया।

Scanned with ACE Scanner